

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

क्रमांक...../मालखाना/2016


देवास, दिनांक .....जुलाई, 2016

:: घोष विक्रय विज्ञापित ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के मालखाना अनुभाग में रखी मोटरसाइकिल/मोपेड/स्कूटर आदि (कुल संख्या 10) की "जहां पर है, जिस स्थिति में है", घोष विक्रय (नीलामी) अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 25.08.2016 को दोपहर 12:30 बजे किय जाना है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त घोष विक्रय में उपस्थित होना हो वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकता है :-

- 1- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदार को नीलामी से पूर्व 10,000/- रुपये अमानत राशि के रूप में नकद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने के पश्चात सफल बोलीदार को छोड़कर शेष की जमा राशि वापस कर दी जाएगी।
- 2- अमानत राशि अग्रिम कार्यालय की नजारत शाखा में दोपहर 12 बजे तक ही जमा की जाएगी।
- 3- नीलामी समाप्त होने पर अंतिम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली की आधी राशि तत्काल जमा करना होगी तथा नीलामी के अनुमोदन उपरांत एक सप्ताह के भीतर शेष राशि नजारत शाखा में जमा कर नीलाम संपत्ति स्वयं को उठाना होगा। नियम समयावधि में राशि जमा नहीं करने की दशा में जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 4- जिला एवं सत्र न्यायाधीश को किसी बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताए रोकने/निरस्त का अधिकार होगा।
- 5- घोष विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का होगा जो सर्वमान्य होगा।
- 6- बोली स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त सम्बन्ध में उठायी गयी किसी भी आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
- 7- खरीददार स्वयं अपने व्यय पर वाहन उठायेगा, इस हेतु कार्यालय द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
- 8- उपरोक्त वाहन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन परिसर, देवास में रखा हुआ है, हच्युक क्रेता नीलामी के पूर्व कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में वाहनों का अवलोकन कर सकते हैं।
- 9- उपरोक्त वाहनों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नोट :- वाहनों का विस्तृत विवरण एवं अपसेट मूल्य मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.mpnc.gov.in](http://www.mpnc.gov.in) पर एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
देवास (म.प्र.)

जिला न्यायालय देवास के घोष विक्रय हेतु दो पहिया वाहनों की सूची

क्रमांक	वाहन का नम्बर	वाहन का प्रकार	आफसेट मूल्य	
1	एम.पी.09 एल.डी.1756	टी.व्ही.एस. सुजुकी	2000.00	
2	एम.पी.41 बी. 6695	—"—	2800.00	
3	एम.पी.13 जे.बी. 3013	स्कूटर बजाज	800.00	
4	एम.पी.यू 3327	यामा	3800.00	
5	एम.पी.बी.ए. 2476	हीरोहोण्डा पैशन	3600.00	
6	बिना नम्बर की	हीरोहोण्डा स्पलेण्डर प्लस	3200.00	
7	एम.पी.13 जे.बी. 9780	टी.व्ही.एस. सुजुकी	2000.00	
8	एम.पी.09 जे.ए. 5255	सुजुकी	2000.00	
9	एम.पी.09 जे.के. 0242	के.फोर	1000.00	
10	बिना नम्बर की	सन्नी स्कूटी	1000.00	
	योग			

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
देवास म0प्र0